1

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

Misc. Civil Case No. 1246/ 2013

Division Bench

APPLICANT:

Nitin Singhvi S/o. Late N.C.Singhvi, aged about-51 years, R/o. HIG-3 Sect-3 Shanker Nagar Raipur & District- Raipur (C.G.).

Versus

R. No. 1246/13
Presented by Shri S. Dongre
dated 19/12/13

NON-APPLICANTS:

1. Union of India
   Through: Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.

2. State of Chhattisgarh,
   Through: Secretary, Forest department, D.K.S. Bhawan, Raipur, C.G.

3. Principal Chief Conservator of Forest (Wildlife), Chhattisgarh, Aranya Bhawan, Medical College Road, Raipur, C.G.

4. Chief Conservator of Forest (Wildlife), Chhattisgarh, Aranya Bhawan, Medical College Road, Raipur, C.G.

5. National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment & Forest, Bikaner House, Annexe-V, Shahjahan Road, New Delhi.

APPLICATION FOR RESTORATION OF WRIT PETITION (PIL) NO. 33 OF 2012

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ०ग०)

युगल पीठ

युगल पीठः माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री यतीन्द्र सिंह,
माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव,

विविध व्यवहार प्रकरण (एम.सी.सी.) संख्या– १२४६/२०१३

आवेदक पक्ष– नीतिन सिंघवी

विरुद्ध

उत्तरवादी पक्ष– यूनियन आफ इंडिया व अन्य

मूल रिट याचिका (जनहित) संख्या– ३३/२०१२ के पुनर्स्थापन हेतु आवेदन–पत्र

उपस्थिति – आवेदक पक्ष की ओर से श्री सौरभ डांगी, अधिवक्ता।
उत्तरवादी पक्ष की ओर से श्री विवेक श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

आदेश

(०१ जनवरी २०१४)

०१. नीतिन सिंघवी (आवेदक पक्ष) की मूल रिट याचिका (जनहित) संख्या– ३३/२०१२ याची स्वयं अथवा उसकी तरफ से कोई भी अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने से आदेश दिनाँक– १६ दिसम्बर २०१३ के द्वारा अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था, जिसके पुनर्स्थापन हेतु यह विविध व्यवहार प्रकरण इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

०२. हमनें, उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुना।

०३. आवेदक/याची पक्ष की उक्त जनहित याचिका के पुनर्स्थापन का आवेदन १००/– (एक सौ रूपये) हर्जाने (cost) पर स्वीकार किया

जाता है। रिट याचिका (जनहित) संख्या-३३/२०१२ में पारित आदेश दिनांक १६ दिसम्बर २०१३ को वापस लिया जाता है एवं उसे अपने मूल नम्बर पर पुनर्स्थापित किया जाता है। कार्यालय, उचित कार्यवाही करे।

०४. आवेदक/याची अधिरोपित उक्त हर्जाने की राशि को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन लाइब्रेरी फंड में अदा करेगा तथा इस बात का हलफ्नामा/प्रमाणपत्र भी न्यायालय के समक्ष दाखिल करेगा कि उसने उक्त हर्जाने की राशि जमा कर दी है।

०५. यह विविध व्यवहार प्रकरण उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

Sd/-
Chief Justice

Sd/-
Manindra Mohan Shrivastava
Judge

मधुलिका